**विधान परिषद के द्वितीय सत्र–2022 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित डॉ0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर।**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 28 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक कितने छात्रों एवं स्कूल का रूपया उत्तर प्रदेश में बकाया है? | वर्ष 2019 से 2022 तक 7861 विद्यालयों एवं वर्ष 2019–20 के 24378, वर्ष 2020–21 के 113521, वर्ष 2021–22 के 146077 छात्र–छात्राओं की धनराशि बकाया है। |
| (ख) शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रूपया कब तक स्कूलों को मिल जायेगा? | बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। |
| (ग) शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रूपया समय पर मिले, उसके लिए सरकार का दायित्व निर्धारित है? | शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/09टी0सी0–।। दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत बच्चे के प्रवेश के उपरान्त विद्यालय को शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था है। |
| (घ) यदि हॉ, तो लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करायेंगे? | बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। |
| (ड.) क्या शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक छात्रों की फीस का रूपया समय पर मिले, उसके लिए सरकार कोई नियम बनायेगी? | इस सम्बन्ध में पूर्व से ही नीति निर्धारित है किन्तु भुगतान की कार्यवाही बजट की उपलब्धता होने पर ही निर्भर करती है। |

संदीप सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।